



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक.-

एफ-5()कार्मिक/सा.प्र./जननि/2021/

1306

दिनांक.- 08.12.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 एवं राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी) सेवा नियम, वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15 (1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 व आदेश क्रमांक एफ 15 (1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के शिड्यूल iv के अनुसार 12400/- रुपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं	मृतक आश्रित का नाम	मृतक से सम्बन्ध (आश्रित)	जन्म दिनांक	मृतक कर्मचारी का नाम	मृत्यु दिनांक	पद
1.	श्री सूरज चाँवरिया	पुत्र	28.12.1999	स्व. श्री मामराज	26.05.2019	सफाई कर्मचारी


उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- उक्त नियुक्ति वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के आदेश क्रमांक एफ-1 (2)एफडी /रूल्स/2006 दिनांक 13.03.06 के अनुसार संशोधित सेवा नियमों के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए सफाई कर्मचारी के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी पर अस्थाई नियुक्ति के रूप में दी जा रही है। परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति दिए जाने पर विचार किया जायेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
- उक्त नियुक्ति आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र और नियुक्ति के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दी जा रही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, शपथ पत्र, जानकारी के असत्य पाये जाने पर ये नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे। साथ ही इस सम्बन्ध में आपराधिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में सामान्य प्रावधानी निधि के अन्तर्गत कटौती नहीं होगी। परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष के प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा।
- वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानुसार नियुक्त कार्मिकों के फिक्स रेम्यूनरेशन की राशि का 10 प्रतिशत एनपीएस पेटे कटौती होगी।
- अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आवेदन पत्र में अंकित एवं नगर निगम जयपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।

6. उपरोक्त आश्रित आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में उपायुक्त (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर को कार्यग्रहण रिपोर्ट देंगे, निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।


कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. सक्षम अधिकारी स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाणपत्र
4. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
5. दो राजपत्रित अधिकारियों का अच्छे चालचलन का प्रमाण पत्र
6. नियुक्ति के पश्चात् मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए शपथ पत्र
7. दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नही होने के शपथ पत्र
8. दहेज नही लेने-देने का शपथ पत्र
9. तंबाकू उत्पादों का सेवन नही करने का शपथ पत्र
10. विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र
11. दो पासपोर्ट साईज फोटो


(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक महापौर महोदया/उप महापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. उपायुक्त कार्मिक नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार/सहायक लेखाधिकारी कार्मिक/प्रोग्रामर/ ई-गवर्नेन्स शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. कार्यालय अधीक्षक मु०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. अध्यक्ष, संयुक्त वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
10. सम्बन्धित कर्मचारी श्री.....
11. गार्ड फाईल


आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर